"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मई 2018 — ज्येष्ठ 9, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–03/आठ–परि./2018. — छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा;

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

नियम 163–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"163–क. लोक सेवा यान में दरवाजे– मोटर केब, मेक्सी केब, लोक सेवा यान, जो 136–160 इंच (3454–4064 मि.मी.) व्हील बेस अथवा कम या जहां बॉडी का निर्माण ऐसे वाहन निर्माता के द्वारा किया जाता है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन अनुमोदित किया गया है, से भिन्न प्रत्येक लोक सेवा यान में यात्रियों के प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे होंगे।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुवे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 28th May 2018

NOTIFICATION

No. F-5-03/VIII/Trans./2018. — The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act,1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section(1) of section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of ten days from the date of publication of this notice in the Official Gazette;

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 163-A, the following shall be substituted, namely :-

"163-A. Doors in public service vehicle – There shall be two doors for the entrance and exit of passengers in every public service vehicle other than Motor cab, maxi cab, public service vehicle having wheel base 136-160 inches (3454-4064 mm) or less or where the body is constructed by vehicle manufacturer which has been approved by the Central Government under rule 126 of the Central Motor Rules, 1989."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.